संख्या-135/2018/2845/22-2-2017-17(38)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामस्वरूप उर्फ कल्याण सिंह पुत्र श्री बुद्ध सिंह, निवासी जनपद-जालौन की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-37840/प्रोबे0-5-दयायाचिका/833 दिनांक 18.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 18.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामस्वरूप उर्फ कल्याण सिंह पुत्र श्री बुद्ध सिंह, निवासी ग्राम तीतरा खलीलपुर, थाना कोंच, जनपद-जालौन का रहने वाला है। बन्दी द्वारा स्कूल की भूमि के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 30.08.1974 08 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक व देशी बन्दूक से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 03 अन्य को घायल कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-176/1977 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 302, 307 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 15.12.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.1997 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.06.2017 तक 19 वर्ष 10 माह 10 दिन की अपरिहार एवं 26 वर्ष 05 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामस्वरूप उर्फ कल्याण सिंह (बन्दी संख्या-10141) पुत्र श्री बुद्ध सिंह, निवासी-जनपद-जालौन की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-135/2018/2845/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in